सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रवेश नीति 2022–23

(राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

ज्ञान से सेवा की ओर

DEPARTMENT OF COLLEGE EDUCATION, RAJASTHAN

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

षष्ठम् भाग

आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग (MBC) (कीमीलेयर को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण।

6.1.1 प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग (MBC) (कीमीलेयर को छोडकर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये कमश 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

6.1.2 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है एवं इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय है {संदर्भ कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश कमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 28.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश कमांक प.18(2)शिक्षा–4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019} /आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जावे। {सन्दर्भ कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश कमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 22.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा–4/ 2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019} आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए Income & Asset Certificate एक बार जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को मान लिया जायेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष (प्रथम वर्ष मूल प्रमाण–पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षो तक) तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11( ) आ.क.व/डीडीबीसी/सान्याअवि/19/28046 दि. 06.05.2022)

6.1.3 स्नातक, स्नातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।

6.1.4 आरक्षण संबधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.1.5 ओ.बी.सी./एम.बी.सी. संबंधी प्रमाण–पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ–पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष (प्रथम वर्ष मूल

प्रमाण–पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षो तक) तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11( )( ) आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि/12/7376 – 409 दि. 24.01.2013)

6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।

6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

6.1.8 आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित स्थान प्रथमतः आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।

6.1.9 यदि संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए समाचार पत्र में विज्ञप्ति दी जाये जिसके लिए प्रवेश शुल्क जमा नहीं करवा सकने वाले उसी वर्ग के अभ्यर्थी भी पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

6.1.10 यदि विज्ञप्ति के सात दिवस में कोई आवेदन पत्र नहीं आता है या कम आवेदन पत्र आते हैं तो अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

6.1.11 बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया अभ्यर्थियों के लिए बारां जिले के राजकीय महाविद्यालय, केलवाडा में शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20)कार्मिक/क–2/91 पार्ट जयपुर दिनांक 12.09.2007 के अनुसार तथा केलवाडा के अतिरिक्त अन्य राजकीय महाविद्यालयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा।

6.1.12 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त, यदि राज्य सरकार द्वारा सीटों/वर्गों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो उन बढ़ी हुई सीटों/वर्गों के लिए आरक्षण नियमों की पालना करते हुए पृथक प्रवेश सूची जारी की जायेगी।

6.1.13 प्रत्येक संकाय के स्नातक प्रथम भाग की प्रत्येक कक्षा में तथा स्नातकोत्तर स्तर एवं एम. फिल. के प्रत्येक विषय/कक्षा में बिन्दु संख्या 6.1.1 से 6.1.11 के अनुसार स्थानों का आरक्षण किया जायेगा एवं तदनुसार पूर्ति की जायेगी।

6.2 दिव्यांग अभ्यर्थी (स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल.)

6.2.1 मूक, बधिर एवं दृष्टिबाधित (Blind) विद्यार्थियों को मनोवांछित महाविद्यालय में मनोवांछित संकाय में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जावेगी एवं प्राचार्य अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु अधिकृत होंगे।

6.2.2 प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में 5 प्रतिशत स्थान दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु क्षैतिजवर्ती (HORIZONTAL) आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षित रहेंगे।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ7(4) प्रवेशनीति / अकाद / आकाशि / 2022 / पार्ट / 631 दिनांकः 25 जुलाई, 2022

:: कार्यालय आदेश ::

समस्त राजकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019–20 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा अति पिछडा वर्ग (MBC)के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया था।

अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नवीन आरक्षण प्रावधानों के मद्दे नजर सभी संकायों में स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सीटों में 25 प्रतिशत की अभिवृद्धि करते हुए कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रत्येक सेक्शन में सीटों की संख्या 100 तथा विज्ञान संकाय मे सीटों की संख्या 88 की जाती है। प्रवेश के समय सभी आरक्षित वर्ग के आवेदकों को बढी हुई संख्या के आधार पर नियमानुसार आरक्षण दिया जायेगा।

स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष में सभी संकायों मे वर्तमान सत्र 2022–23 में सीट मैट्रिक्स निम्नानुसार रहेगी –

संकाय / वर्ग	कुल संख्या	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछडा वर्ग	अति पिछडा वर्ग	EWS
कला / वाणिज्य	100	36	16	12	21	05	10
विज्ञान	88	34	14	10	18	04	08
M.A M.com.	60	21	10	7	13	03	6

स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रकिया में उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित की जावे।

नोट :– यह सीट मैट्रिक्स सांकेतिक है। सीट मैट्रिक्स का निर्धारण महाविद्यालय में संधारित रोस्टर रजिस्टर के अनुसार किया जाए। यह अभिवृद्धि केवल सत्र 2022–23 के लिए मान्य होगी।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. कुल सचिव, सम्बद्धक विश्वविद्यालय, राजस्थान।
5. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
6. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय को अपलोड / ई–मेल करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

25.7.2022
(डॉ. के.एल. सिराधना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)